छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्
छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002
दूरभाष नंबर : 0771–2425411

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म शुल्क – 500/–

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री / सुश्री..... पिता / पति का नाम.....
2.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	....
3.	जिला का नाम	.....
4.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 500.00 / – (वस्तु एवं सेवा कर सहित) (अक्षरी पांच सौ रूपये मात्र)
5.	निविदा फार्म नगद क्रय की जानकारी	मनी रसीद नंबर .....दिनांक.....
6.	यदि वेबसाईट से डाउन लोड किया गया है तो संलग्न ड्राफ्ट का विवरण	ड्राफ्ट नंबर..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक ..... को अपरान्ह 2.00 बजे तक।
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक ..... अपरान्ह 3.00 बजे। स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 21, नवा रायपुर अटल नगर

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, निविदाकार द्वारा निविदा टेंडर बॉक्स में डाला जावेगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

क्रमशः.....2

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली अनुबंध के भाग होंगे :–

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे कैन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए लाईसेंस प्रदाय किया जायेगा। कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से प्रबंध संचालक विपणन संघ को अनुबंध अवधि में वृद्धि का अधिकार होगा।

2. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम निविदा दर का निर्धारण किया जावेगा। निविदा के वित्तीय प्रपत्र मे निविदाकार द्वारा वास्तविक मूल्य एवं रियायती मूल्य भरा जावे, जिस निविदाकार की अधिकतम आईटमों मे रियायती दर न्यूनतम होगी उससे निगोसिएशन उपरांत कार्यादेश जारी किया जायेगा।

3. निविदाकार को निविदा विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "क") एवं वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग "ख") अलग–अलग दो बड़े लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर तकीनीकी अथवा वित्तीय निविदा, निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक एवं समय तथा निविदाकार का नाम और पता लिखना होगा।

4. निविदा फॉर्म का शुल्क 500/– रूपये है। यदि निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फार्म का शुल्क 500/– का पृथक से डी.डी.संलग्न करना होगा, या विपणन संघ मुख्यालय से रूपये 500/– जमा कर दिनांक ..... से दिनांक ..... तक किसी भी कार्यालय दिवस मे कार्यालयीन समय मे प्राप्त किया जा सकता है।

5 **<u>निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–</u>**

5.1 निविदा फर्म विपणन संघ के वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फर्म शुल्क 500 रू. का डी.डी. संलग्न करना होगा। यदि विपणन संघ मुख्यालय मे उपरोक्त 500 रू. जमा किया गया है तो मनी रसीद की प्रति संलग्न किया जावेगा।

5.2 निविदा के साथ अमानत राशि 10000.00 रूपये किसी अधिसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय रायपुर के नाम से देय होगा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5.3 निविदाकार के पास किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त संस्थान/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित संस्थान/बैंक अथवा ख्याति प्राप्त निजी संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का कैन्टीन संचालन करने का अनुभव होना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

क्रमशः.....3

5.4 तकनीकी योग्यता के मापदण्ड के लिए तकनीकी लिफाफा मे निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

I. स्थायी खाता संख्या (PAN)

II. वस्तु सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण पत्र

III. गुमास्ता लाईसेंस

IV. भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन

6. निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये। दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधार पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

7. विपणन संघ मुख्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्य निधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

8. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

9. निविदाकार को निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करना तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

10. **<u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश</u>** :–

10.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म का मूल्य 500/– रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) होगा। जो नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

10.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

10.3 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

क्रमशः.....4

10.4 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 2 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

11. <u>निविदा निष्पादित करना</u> :–

विपणन संघ द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि 50.00 रूपये (पचास रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ अनुबंध (इकरारनामा) निष्पादित करना आवश्यक होगा।

12. <u>विविध</u> :–

12.1 विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे कैन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की गई है। कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से प्रबंध संचालक विपणन संघ को अनुबंध अवधि में वृद्धि का अधिकार होगा।

12.2 अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहॉ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

12.3 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग कैन्टीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।

12.4 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान का संग्रह/विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

12.5 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

12.6 निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12.7 निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नही होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

कमशः.....5

12.8 निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कंडिका क्रमांक 13 मे उल्लेखित सुविधाएं एवं सेवा उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करायेगा। इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। विपणन संघ द्वारा भाग 'ख' में प्रस्तावित 55 आईटमों में जिस निविदाकार का अधिकतम आइटमो में रियायती दर न्यूनतम होगा उसे ही निविदा प्रदान की जावेगी।

12.9 निविदाकार द्वारा सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

12.10 निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

12.11 निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति कैन्टीन से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

12.12 निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।

12.13 निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावें।

12.14 निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

12.15 निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

कमशः.....6

12.16 निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

12.17 निविदाकार द्वारा कैन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में विपणन संघ की बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा। आवश्यकतानुसार उपरोक्तानुसार समय में परिवर्तन का अधिकार सचिव विपणन संघ के पास रहेगा।

12.18 निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं एवं शर्तो के अंतर्गत की गई है–

i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

12.19 सभी खाद्य पदार्थों को पकाने/तैयार करने में परिष्कृत सूरजमुखी/सोयाबीन /मूंगफली/राईस ब्रान आयल (एगमार्क/एफ.ए.ओ. से प्रमाणित) स्टैंडर्ड क्वालिटी का दूध (भैंस/गाय), चाय की पत्तियाँ/पाउडर, कॉफी पाउडर का ही उपयोग किया जावेगा।

निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर कैन्टीन संचालन समिति द्वारा की जावेंगी।

क्रमशः.....7

12.20 निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

12.21 निविदाकार द्वारा कैन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

12.22 निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

12.23 निविदाकार द्वारा कैन्टीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

12.24 निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

12.25 निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

12.26 निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय कैन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

12.27 निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

12.28 निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थों (Garbage) को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

12.29 निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

12.30 निविदाकार द्वारा कैन्टीन की नियमित साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को कैन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है। किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

12.31 निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी एवं निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

12.32 निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

क्रमशः.....8

12.33 निविदाकार यदि सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे निविदाकार के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

12.34 अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता मे कमी पाई जाती है, अथवा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में प्रबंध संचालक को कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

12.35 निविदाकार अपनी इच्छा से कम से कम तीस कैलेण्डर दिवस पहले अनुबंध को समाप्त करने के इरादे से विपणन संघ को एक लिखित नोटिस देना होगा।

12.36 विपणन संघ द्वारा प्रतिदिन 300–400 कप चाय/कॉफी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

12.37 सप्ताहिक मेनू एक सप्ताह पहले तैयार किया जाकर विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

12.38 निविदाकार का प्रतिष्ठान का कार्यालय रायपुर अथवा नवा रायपुर अटल नगर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13. **विपणन संघ निविदाकार को निम्नलिखित सुविधाएं और वस्तुएं प्रदान करेगा :–**

13.1 कैन्टीन सेवाओं के संचालन के लिए स्थान। (वर्तमान मे 47 वर्गमीटर)

13.2 बिजली (केवल रेफ्रिजरेटर, मिक्सर–ग्राइंडर एवं ओवन के उपयोग हेतु)।

13.3 धोने और पीने के लिए पानी ।

13.4 फर्नीचर, एयरकंडीशनर, चिमनी और अन्य बुनियादी ढ़ांचा।

14. **दण्ड :–**

14.1 निविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने में किसी भी गंभीर चूक के लिए तथा मिलावट आदि के लिए निविदाकार पर जुर्माना लगाने का अधिकार विपणन संघ के पास रहेगा।

14.2 किसी भी स्थिति में कैन्टीन परिसर गंदा दिखाई पड़ने पर या कैन्टीन कर्मचारी आबंटित कार्य करने में लापरवाही कर रहे है, तो उनके मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना संबंधित महीने के लिए लगाया जाएगा।

14.3 निविदाकार को मेनू, भोजन की आवृत्ति सेवा और कैन्टीन के समय के संबंध में विपणन संघ कैन्टीन संचालन समिति के निर्देशों का पालन करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के बदलाव करने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा और ऐसे मामले में विपणन संघ जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अनुबंध भी रद्द कर सकता है।

क्रमशः.....9

14.4 निविदाकार द्वारा परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामग्री उचित, ताजी और स्वच्छ होने चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार गुणवत्ता वाले होने चाहिए। विपणन संघ किसी भी समय उल्लेखित किसी भी उल्लंघन मामले में, अनुबंध को समाप्त करने और उपयुक्त जुर्माना लगाये जाने का अधिकार रहेगा।

14.5 भोजन तैयार करने के लिए केवल सर्वोत्तम/ब्रांडेड गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। गैर मिलावटी चीजे, सब्जी, पाउडर, तेल, सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का जांच आवश्यक रूप से समय–समय पर की जावेगी। और जहाँ आवश्यक हो सैम्पल की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई जावेगी और परिणाम विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। तेल का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित है। उल्लेखित किसी भी शर्त/निर्देश के उल्लंघन के मामले में अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा और संघ द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

14.6 खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को कैन्टीन संचालन समिति द्वारा किसी भी समय जांच सकता है और यदि उप मानक सामग्री पाई जाती है, तो इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संस्थान के अनुबंध को समाप्त करने तथा जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और संघ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

14.7 नियमित निरीक्षण करने तथा दण्ड की प्रकृति का निर्धारण करने और रिपोर्ट करने के लिए कैन्टीन संचालन समिति बनाई जाएगी। केन्टीन संचालन समिति मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकेगा तथा अनुबंध को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकेगा। मामले में विपणन संघ का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

15. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मे कमीं पाई जाती है तो कैन्टीन संचालन समिति की अनुशंसा के आधार पर विपणन संघ को जुर्माना लगाने तथा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

उक्त शर्तों के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर–21, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स मे कैन्टीन हेतु अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

क्रमशः.....10

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.1. निविदाकर्ता का पूरा नाम व पता तथा दूरभाष क्रमांक .....

1.2 निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता .....

1.3. प्रतिष्ठान का स्वरूप (फर्म/कम्पनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार) .....

1.4. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) .....

1.5. फर्म/कम्पनी की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....

1.6 वर्तमान में किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त संस्थान/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित संस्थान तथा बैंक अथवा ख्याति प्राप्त निजी संस्थान में कैन्टीन संचालन करने का अनुभव का विवरण (प्रमाण संलग्न करे) .....

1.7 निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण (संलग्न करे) .....

रूपये कुल.....

बैंक ड्राफ्ट नंबर.....

बैंक का नाम.....

1.8 निविदा फार्म हेतु प्रस्तुत की गई डी.डी. का विवरण (संलग्न करें)

रू.....500/–

बैंक ड्राफ्ट क्र.....दि.....

बैंक का नाम.....

मनी रसीद क्र. एवं दि. .....

क्रमशः.....11

1.9 I. स्थायी खाता संख्या (PAN) नं. .....

II. वस्तु सेवा कर (GST) नं. .....

III. गुमास्ता लाईसेंस नं. .....

IV. भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पंजीयन क्रमांक .....

(उपरोक्त समस्त की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें) .....

2 हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान.....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

क्रमशः ...12

भाग–ख
(वित्तीय लिफाफा हेतु)
कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ मुख्यालय केंटीन में बनाये जाने वाले खाद्य सामाग्रियों का विवरण

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कॉफी	100 एम.एल.		
2	नेसकॉफी	100 एम.एल.		
3	चाय स्पेशल	100 एम.एल.		
4	चाय	100 एम.एल.		
5	ग्रीन टी	100 एम.एल.		
6	लेमन टी/ब्लैक टी	100 एम.एल.		
7	डिप चाय	100 एम.एल.		
8	बटर मिल्क	200 एम.एल		
9	सॉफ्ट ड्रिंक	200 एम.एल		
10	फ्रुट जूस	200 एम.एल		
11	पोहा (150 ग्राम)	एक प्लेट		
12	जलेबी (150 ग्राम)	एक प्लेट		
13	सादा दोसा, (100 ग्राम) सांभर (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
14	मसाला दोसा, (175ग्राम) सांभर (150 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
15	छोले भटूरे – दो पीस (150 ग्राम), आचार एवं प्याज	एक प्लेट		
16	बालूशाही – 2 पीस (140 ग्राम)	एक प्लेट		
17	उत्पम, , (100 ग्राम) चटनी, (50 ग्राम)	एक प्लेट		
18	इडली–2 पीस (120 ग्राम), सांभर (150 एम.एल.), चटनी (50 ग्राम)	एक प्लेट		
19	दही बड़ा – बड़ा 2 पीस (120 ग्राम), दही (50 एम.एल)	एक प्लेट		
20	सांभर बड़ा– बड़ा –2 पीस, (100 ग्राम), सांभर (150 एम.एल.), चटनी (50 ग्राम)	एक प्लेट		

क्रमशः.....13

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	समोसा –2 पीस, (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
22	आलू चाप – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
23	मूंग बड़ा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
25	दही समोसा –2 पीस, (120 ग्राम) एवं दही (50 एम.एल)	एक प्लेट		
26	वेजीटेबल सेंडविच–चार पीस	एक प्लेट		
27	कचौड़ी 2 पीस, (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
28	दही कचौड़ी – कचौरी 2 पीस, (100 ग्राम) एवं दही (50 ग्राम)	एक प्लेट		
29	ब्रेड पकोड़ा – 2 पीस (120 ग्राम)	एक प्लेट		
30	प्याजी बड़ा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
31	बड़ा पॉव – 2 पीस (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
32	उडद बड़ा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
33	पॉव भाजी (बटर के साथ) 2 पीस (100 ग्राम), सब्जी (120 ग्राम)	एक प्लेट		
34	वेज नूडल्स/चाउमिन (120 ग्राम)	एक प्लेट		
35	वेज ग्रील्ड सेंडविच (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
36	वेज कटलेट – 2 पीस (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
37	साबू दाना बड़ा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
38	भेल (150 ग्राम)	एक प्लेट		
39	पानी पूरी (7 नग)	एक प्लेट		
40	दही पूरी (7 नग)	एक प्लेट		
41	पराठा प्लेन – 2 पीस (120 ग्राम) एव दही/सब्जी	एक प्लेट		
42	आलू पराठा – 2 पीस (150 ग्राम) एव दही/सब्जी	एक प्लेट		
43	आलू चाप (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		

क्रमशः.....14

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	मेथी पराठा– 2 पीस (120 ग्राम) एव सब्जी	एक प्लेट		
45	मूंग चीला – 2 पीस (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
46	सादा चीला – 2 पीस (150 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
47	भजिया (150 ग्राम)	एक प्लेट		
48	पूड़ी – चार पीस (120 ग्राम) एवं आलू सब्जी (150 ग्राम)	एक प्लेट		
49	फरा (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
50	ढ़ोकला (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
51	चना चिल्ली (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
52	लंच थाली–तवा रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), वेजकरी(120 ग्राम), दाल (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), सलाद, आचार, पापड़–1	प्रति थाली		
53	मिनी स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), दाल फ्राई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
54	स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), जीरा राईस (200 ग्राम), दाल फ्राई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), रायता, दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
55	लंच पैकेट –तवा बटर रोटी–4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), दाल फ्राइ (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), रायता, सीजनल सब्जी (120 ग्राम), दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति पैकेट		

क्रमशः.....15

टीपः– 1. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम दर की गणना की जावेगी।

2. उपरोक्त खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त निविदाकार द्वारा सील पैक्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ यथाः– बिस्किट, चिप्स, कोलड्रींक, जूस, दूध, लस्सी, छांछ आदि अपनी आवश्यकता अनुरूप रख सकता है।

दिनांक .....

स्थान .....

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर व सील

क्रमशः.....16

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष क्रमांक 01 सचिव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर तथा पक्ष क्रमांक 02 मेसर्स.....की ओर से श्री..... वल्द..... जिला..... के निवासी है, जिसे की आगे निविदाकार के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकार द्वारा विपणन संघ में दिनांक ..... से दिनांक ..... तक की अवधि के इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों को स्वीकार किया गया हैं।

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे कैन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की गई है। कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से प्रबंध संचालक विपणन संघ को अनुबंध अवधि में वृद्धि का अधिकार होगा।

2. अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहॉ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

3. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।

4. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान का संग्रह/विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

5. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

6. निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नही होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

क्रमशः.....17

8. निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कंडिका क्रमांक 13 मे उल्लेखित सुविधाएं एवं सेवा उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करायेगा। **इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।** विपणन संघ द्वारा भाग 'ख' में प्रस्तावित 55 आईटमों में जिस निविदाकार का अधिकतम आइटमो में रियायती दर न्यूनतम होगा उसे ही निविदा प्रदान की जावेगी।

9. निविदाकार द्वारा सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

10. निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

11. निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति कैन्टीन से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

12. निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।

13. निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावें।

14. निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

15. निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

16. निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

क्रमशः.....18

17. निविदाकार द्वारा कैन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में विपणन संघ की बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा। आवश्यकतानुसार उपरोक्तानुसार समय में परिवर्तन का अधिकार सचिव विपणन संघ के पास रहेगा।

18. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं एवं शर्तो के अंतर्गत की गई है–

i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

19. सभी खाद्य पदार्थों को पकाने/तैयार करने में परिष्कृत सूरजमुखी/सोयाबीन/मूंगफली /राईस ब्रान आयल (एगमार्क/एफ.ए.ओ. से प्रमाणित) स्टैंडर्ड क्वालिटी का दूध (भैंस/गाय), चाय की पत्तियाँ/पाउडर, कॉफी पाउडर का ही उपयोग किया जावेगा।

निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर कैन्टीन संचालन समिति द्वारा की जावेंगी।

20. निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

21. निविदाकार द्वारा कैन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

22. निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....19

23. निविदाकार द्वारा कैन्टीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।
24. निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।
25. निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
26. आवश्यक उपाय कैन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।
27. निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।
28. निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थों (Garbage) को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
29. निविदाकार द्वारा कैन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।
30. निविदाकार द्वारा कैन्टीन की नियमित साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को कैन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है। किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।
31. निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी एवं निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।
32. निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है,जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।
33. निविदाकार यदि सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे निविदाकार के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।
34. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता मे कमी पाई जाती है, अथवा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में प्रबंध संचालक को कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
35. निविदाकार अपनी इच्छा से कम से कम तीस कैलेण्डर दिवस पहले अनुबंध को समाप्त करने के इरादे से विपणन संघ को एक लिखित नोटिस देना होगा।
36. विपणन संघ द्वारा प्रतिदिन 300–400 कप चाय/कॉफी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः.....20

37. सप्ताहिक मेनू एक सप्ताह पहले तैयार किया जाकर विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

38. विपणन संघ निविदाकार को निम्नलिखित सुविधाएं और वस्तुएं प्रदान करेगा :–

38.1 कैन्टीन सेवाओं के संचालन के लिए स्थान। (वर्तमान मे 47 वर्गमीटर)

38.2 बिजली (केवल रेफ्रिजरेटर, मिक्सर–ग्राइंडर एवं ओवन के उपयोग हेतु)।

38.3 धोने और पीने के लिए पानी ।

38.4 फर्नीचर, एयरकंडीशनर, चिमनी और अन्य बुनियादी ढ़ांचा।

39. <u>दण्ड</u> :–

39.1 निविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने में किसी भी गंभीर चूक के लिए तथा मिलावट आदि के लिए निविदाकार पर जुर्माना लगाने का अधिकार विपणन संघ के पास रहेगा।

39.2 किसी भी स्थिति में कैन्टीन परिसर गंदा दिखाई पड़ने पर या कैन्टीन कर्मचारी आबंटित कार्य करने में लापरवाही कर रहे है, तो उनके मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना संबंधित महीने के लिए लगाया जाएगा।

39.3 निविदाकार को मेनू, भोजन की आवृत्ति सेवा और कैन्टीन के समय के संबंध में विपणन संघ कैन्टीन संचालन समिति के निर्देशों का पालन करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के बदलाव करने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा और ऐसे मामले में विपणन संघ जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अनुबंध भी रद्द कर सकता है।

39.4 निविदाकार द्वारा परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामग्री उचित, ताजी और स्वच्छ होने चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार गुणवत्ता वाले होने चाहिए। विपणन संघ किसी भी समय उल्लेखित किसी भी उल्लंघन मामले में, अनुबंध को समाप्त करने और उपयुक्त जुर्माना लगाये जाने का अधिकार रहेगा।

39.5 भोजन तैयार करने के लिए केवल सर्वोत्तम/ब्रांडेड गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। गैर मिलावटी चीजे, सब्जी, पाउडर, तेल, सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का जांच आवश्यक रूप से समय–समय पर की जावेगी। और जहाँ आवश्यक हो सैम्पल की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई जावेगी और परिणाम विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। तेल का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित है। उल्लेखित किसी भी शर्त/निर्देश के उल्लंघन के मामले में अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा और संघ द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

39.6 खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को कैन्टीन संचालन समिति द्वारा किसी भी समय जांच सकता है और यदि उप मानक सामग्री पाई जाती है, तो इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संस्थान के अनुबंध को समाप्त करने तथा जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और संघ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

क्रमशः.....21

39.7 नियमित निरीक्षण करने तथा दण्ड की प्रकृति का निर्धारण करने और रिपोर्ट करने के लिए कैन्टीन संचालन समिति बनाई जाएगी। कैन्टीन संचालन समिति मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकेगा तथा अनुबंध को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकेगा। मामले में विपणन संघ का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

40. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मे कमीं पाई जाती है तो कैन्टीन संचालन समिति की अनुशंसा के आधार पर विपणन संघ को जुर्माना लगाने तथा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

उक्त शर्तों के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर–21, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स में कैन्टीन हेतु अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

हस्ताक्षर एवं सील

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर

हस्ताक्षर एवं सील

फर्म का नाम – .....

पता – .....

.....